तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनि० दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थिगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तहत निवेदन किया कि प्रार्थिनी के स्वर्गीय नाना के जीवनकाल में मुसलिम विधि के अनुसार अर्जित निहित जोत रोही महाजन ग्राम खसरा 1239 हैक्टेयर तादादी 2.19 हैक्टेयर नहरी, खसरा नम्बर 1256 में 3.2500 हैक्टेयर बारानी 1 खसरा नम्बर 1276 तादादी 3.9500 हैक्टेयर बरानी 1 खसरा नं.1281 3.6000 बारानी 1 कुल 12.9900 हैक्टेयर लगान 32.55 रू कायम किया गया हैं। उक्त जोत खातेदारी पैतृक धारण की है। आज तक निरन्तर भौतिक कब्जा काश्त में शांति पूर्वक चली आ रही खातेदारी रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। मौके पर भौतिक रूप से मालिक व काबिज प्रार्थी निरन्तर उपयोग व उपभोग करता आ रहा हैं। पूर्व में दिनांक 12.07.2019 को वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली । बाद में आवश्यक पक्षकारान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी हैं तथा मृतक बिदामी व महतू के नाम हटाए जाने के आदेश हो चुके है वास्ते जवाब सरकार आगामी पेशी हेतु लिखा गया परन्तु आज दिनांक जवाब सरकार अप्राप्त हैं अतः जवाब सरकार बन्द किया एवं प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सूनी गई इसके बाद वकील प्रार्थिगण ने प्रार्थना–पत्र में लिखे तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे कहा कि प्रार्थीया अनपढ गरीब किसान खेती से ही अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है और आय का अन्य कोई जरिया नहीं हैं। अन्य किसी का भी कोई हक हिस्सा सीर नहीं है ना ही यह जोत अन्य किसी की पैतृक जोत का भाग हैं। प्रार्थीया ही स्वत्व धारी अधिकरी व भौतिक निरन्तर कब्जाधारी विधिक कास्तकार खातेदार हैं। अतः प्रार्थन पत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीयां विरूद्ध अप्रार्थीगण अमर की प्रदान की जावे कि अप्रार्थीगण ग्राम रोही महाजन खसरा 1239 हैक्टेयर तादादी 2.19 हैक्टेयर नहरी, खसरा नम्बर 1256 में 3.2500 हैक्टेयर बारानी 1 खसरा नम्बर 1276 तादादी 3.9500 हैक्टेयर बरानी 1 खसरा नं.1281 3.6000 बारानी 1 कुल 12.9900 में अस्थाई निषेधाज्ञाा बहक प्रार्थीगण इस अमर की प्रदान की जावे ना तो स्वयं दख अन्दाजी करें एवं ना ही अन्य को प्रवेश की प्रेरणा देवें। ना ही उक्त भूमि को रहन बैय व किसी प्रकार का अन्तरण करें एवं खर्चा हर्जा अप्रार्थीगण से दिलवाने बाबत कहा गया। हमने एक पक्षीय बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्स पर पहुंचे है कि ग्राम रोही महाजन खसरा 1239 हैक्टेयर तादादी 2.19 हैक्टेयर नहरी, खसरा नम्बर 1256 में 3.2500 हैक्टेयर बारानी 1 खसरा नम्बर 1276 तादादी 3.9500 हैक्टेयर बरानी 1 खसरा नं.1281 3.6000 बारानी 1 कुल 12.9900 हैंक्टेयर हैं । प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष का प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की संभावना प्रतीत होती है जिससे प्रार्थीगण को क्षति संभावित है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमिग्राम रोही महाजन खसरा 1239 हैक्टेयर तादादी 2.19 हैक्टेयर नहरी, खसरा नम्बर 1256 में 3.2500 हैक्टेयर बारानी 1 खसरा नम्बर 1276 तादादी 3.9500 हैक्टेयर बरानी 1 खसरा नं.1281 3.6000 बारानी 1 कुल 12.9900 हैंक्टेयर में किसी प्रकार ना तो स्वयं दखल अन्दाजी करें ना ही रहन, बैय व किसी प्रकार का अन्तरण करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.04 17:42:31 IST
Reason: SelfAttested